ए.

इंद्र बाई

बनाम

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एक अन्य (2023 की सिविल अपील संख्या 4492)

बी.

17 जुलाई, 2023

[जे**.** बी**.** पारदीवाला और मनोज मिश्रा**,** जे**.** जे**.]**

कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 -एस. 2 और एस.न्यायालय 4 न्यायालय न्यायालय–न्यायालय न्यायालयपन्यायालयून्यायालयरन्यायालय्न्यायालयणन्यायालय न्यायालयअन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयषन्यायालयमन्यायालयतन्यायालयान्यायालय-न्यायालयकन्यायालयान्यायालयरन्यायालय्न्यायालययन्यायालयान्यायालयतन्यायालय्न्यायालयम न्यायालयकन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयषन्यायालयमन्यायालयतन्यायालयान्यायालय-अपीलार्थी न्यायालय-
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालय्न्यायालयमन्यायालयचन्यायालयान्यायालयरन्यायालयीन्यायालय न्यायालयआन्यायालयरन्यायालय-न्यायालय 1 न्यायालय न्यायालयसन्यायालयेन्यायालय न्यायालयबन्यायालयीन्यायालयमन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयटन्यायालय्न्यायालयरन्यायालयकन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयलन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय न्यायालयआन्यायालयरन्यायालय-न्यायालय 2 न्यायालय-न्यायालयकन्यायालयंन्यायालयपन्यायालयनन्यायालयीन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयसन्यायालयान्यायालयथन्यायालय न्यायालयलन्यायालयोन्यायालयडन्यायालयिन्यायालयंन्यायालयगन्यायालय न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयनन्यायालयलन्यायालयोन्यायालयडन्यायालयिन्यायालयंन्यायालयगन्यायालय न्यायालयशन्यायालय्न्यायालयरन्यायालयमन्यायालयिन्यायालयकन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयरन्यायालयून्यायालयपन्यायालय

न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयान्यायालयरन्यायालय्न्यायालययन्यायालयरन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयथन्यायालयान्यायालय-न्यायालयएन्यायालयकन्यायालय
न्यायालयटन्यायालय्न्यायालयरन्यायालयकन्यायालय न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयखन्यायालयंन्यायालयभन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयलन्यायालयोन्यायालयडन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालयतन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयमन्यायालययन्यायालय,न्यायालय अपीलार्थी न्यायालय
न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय न्यायालयबन्यायालयान्यायालयएन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयहन्यायालयान्यायालयथन्यायालय न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयगन्यायालयंन्यायालयभन्यायालयीन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयचन्यायालयोन्यायालयटन्यायालय न्यायालयलन्यायालयगन्यायालयीन्यायालय-
न्यायालयउन्यायालयसन्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयबन्यायालयान्यायालयएन्यायालयंन्यायालय न्यायालयहन्यायालयान्यायालयथन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय न्यायालयकन्यायालयोन्यायालयईन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयकन्यायालयडन्यायालय़न्यायालय
न्यायालयनन्यायालयहन्यायालयीन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयबन्यायालयचन्यायालयीन्यायालय न्यायालयथन्यायालयीन्यायालय-
न्यायालयरन्यायालयिन्यायालयकन्यायालयॉन्यायालयरन्यायालय्न्यायालयडन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयान्यायालयकन्यायालय्न्यायालयषन्यायालय्न्यायालययन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयवन्यायालयिन्यायालयचन्यायालयान्यायालयरन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालयनन्यायालयेन्यायालय न्यायालयपन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयशन्यायालय्न्यायालयरन्यायालयमन्यायालयिन्यायालयकन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयुन्यायालयआन्यायालयवन्यायालयजन्यायालयान्यायालय
न्यायालयआन्यायालययन्यायालयुन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयतन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयेन्यायालय न्यायालयपन्यायालयान्यायालययन्यायालयान्यायालय
न्यायालयकन्यायालयिन्यायालय अपीलार्थी न्यायालय
न्यायालयसन्यायालय्न्यायालयथन्यायालयान्यायालययन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयरन्यायालयून्यायालयपन्यायालय न्यायालयसन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयशन्यायालय्न्यायालयरन्यायालयमन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयान्यायालयरन्यायालय्न्यायालययन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालयनन्यायालयेन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयलन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय
न्यायालयअन्यायालययन्यायालयोन्यायालयगन्यायालय्न्यायालययन्यायालय
न्यायालयहन्यायालयोन्यायालय न्यायालयगन्यायालययन्यायालयान्यायालय

न्यायालयथन्यायालयान्यायालय,न्यायालय न्यायालयजन्यायालयोन्यायालय
न्यायालयवन्यायालयहन्यायालय
न्यायालयदन्यायालयुन्यायालयरन्यायालय्न्यायालयघन्यायालयटन्यायालयनन्यायालयान्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयसन्यायालयमन्यायालययन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालय न्यायालयरन्यायालयहन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयथन्यायालयीन्यायालय न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयउन्यायालयसन्यायालयेन्यायालय न्यायालयकन्यायालयुन्यायालयलन्यायालय
न्यायालय 4 न्यायालय 0 न्यायालय
न्यायालयपन्यायालय्न्यायालयरन्यायालयतन्यायालयिन्यायालयशन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयान्यायालय
न्यायालयमन्यायालयुन्यायालयआन्यायालयवन्यायालयजन्यायालयान्यायालय
न्यायालयदन्यायालयिन्यायालययन्यायालयान्यायालय
न्यायालयगन्यायालययन्यायालयान्यायालय।न्यायालययदि अक्षमता किसी श्रमिक को उन सभी कार्यों के लिए अक्षम करती है जो वह दुर्घटना के समय करने में सक्षम था, तो इसे मुआवजे के पुरस्कार के उद्देश्यों के लिए पूर्ण अक्षमता माना जाएगा-जब बोर्ड ने प्रमाणित किया था कि अपीलार्थी को श्रम के लिए अयोग्य घोषित किया गया था, तो अक्षमता को उसकी कार्यात्मक अक्षमता के कारण कुल के रूप में मानते हुए मुआवजा देने में आयुक्त के निर्णय में कोई विकृति नहीं थी-उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त करना दिया गया-आयुक्त का आदेश बहाल किया गया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम**, 1923** की धारा **2** की उप-धारा **(1)** के खंड **(1)** द्वारा प्रदान की गई "कुल अक्षमता" शब्द की परिभाषा**,** यह कार्यात्मक अक्षमता है न कि केवल शारीरिक अक्षमता जो यह आकलन करने में निर्धारक कारक है कि क्या दावेदार **(**यानी**,** कर्मचारी**)** ने पूर्ण अक्षमता प्राप्त की है।इस प्रकार**,** यदि दुर्घटना में हुई अक्षमता एक कर्मचारी को उन सभी कार्यों के लिए अक्षम कर देती है जो वह दुर्घटना के समय पूरा करने में सक्षम था**,** जिसके परिणामस्वरूप ऐसी अक्षमता होती है**,** तो अक्षमता को कुल के रूप में लिया जाएगा

जी.

एच.

अधिनियम की धारा **4 (1) (**बी**)** के तहत मुआवजे के पुरस्कार के उद्देश्यों की परवाह किए बिना कि लगी चोट अधिनियम की अनुसूची **I** के भाग **I** में निर्दिष्ट नहीं है। अधिनियम की धारा **2** की उप**-**धारा **(1)** के खंड **(1)** का परंतुक मूल खंड के महत्व को कम नहीं करता है। बल्कि**,** यह श्रेणियों को निर्दिष्ट करके इसमें जोड़ता है जिसमें यह माना जाएगा कि स्थायी पूर्ण अक्षमता है।**[**पैरा **28] [857-**ई**-**जी**]**

बी.

2. बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर**,** आयुक्त ने अपीलार्थी को श्रम के लिए अयोग्य पाया क्योंकि अपीलार्थी के बाएं हाथ में पकड़ पूरी तरह से खो गई थी। दुर्घटना से पहले**,** अपीलार्थी लोडिंग/अनलोडिंग मजदूर के रूप में काम करता था।भले ही वह अपने दाहिने हाथ का उपयोग कर सकती हो**,** लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या उसे माल ढोने/उतारने वाले मजदूर के रूप में अपना काम करने के लिए उपयुक्त माना जा सकता है।इस तरह का कार्य आमतौर पर दोनों हाथों का उपयोग करके किया जाता है।अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि अपीलार्थी एक हाथ के उपयोग से किसी भी प्रकार का कार्य करने में कुशल था।यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां अपीलार्थी के पास मशीनों का उपयोग करके अपना काम करने का कौशल था जिसे अपीलार्थी एक हाथ का उपयोग करके संचालित कर सकता था।ऐसी परिस्थितियों में**,** जब बोर्ड ने प्रमाणित किया था कि अपीलार्थी को श्रम के लिए अयोग्य घोषित किया गया था**,** तो अक्षमता को उसकी कार्यात्मक अक्षमता के कारण कुल के रूप में मानते हुए मुआवजा देने में आयुक्त के निर्णय में कोई विकृति नहीं थी।नतीजतन**,** उच्च न्यायालय द्वारा विचार के लिए कानून का कोई सवाल नहीं उठा**,** कम से कम एक महत्वपूर्ण**,** ताकि अधिनियम की धारा **30** के तहत शक्ति के प्रयोग में अपील की अनुमति दी जा सके। हमारे सुविचारित विचार में**,** उच्च न्यायालय ने आयुक्त के आदेश को आंशिक रूप से दरकिनार करने और अक्षमता का आकलन **100%** के बजाय **40** प्रतिशत करने में गलती की**,** जैसा कि आयुक्त द्वारा मूल्यांकन किया गया था।**[**पैरा **31] [858-**डी**-**जी**]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाममुबासिर अहमद और

एक और (2007) 2 एससीसी 349:[2007] 2 एस. सी. आर. 117-लागू नहीं होता है।

जी.

प्रताप नारायण सिंह देव बनाम श्रीनिवास सबाटा एक और

(1976) 1 एससीसी 289:[1976] 2 एस. सी. आर. 872; चनप्पा

नागप्पा मुचलगोडा बनाम प्रभागीय प्रबंधक, नया

इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2020) 1 एस. सी. सी. 796:[2019] 14 एससीआर 556-पर निर्भर।

एच.

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मोहम्मद।नासिर और

एक और (2009) 6 एससीसी 280:[2009] 8 एससीआर 829; गोल्ला

राजन्ना और अन्य बनाम मंडल प्रबंधक और अन्य

(2017)1 एससीसी **45:[2016] 9** एस**.** सी**.** आर**. 469-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

बी.

[2007] 2 एस**.** सी**.** आर**. 117** अभिनिर्धारित अप्रयोज्य पैरा **16 [2009] 8** एस**.** सी**.** आर**. 829** पैरा **16 [2019] 14** एस**.** सी**.** आर**. 556** पैरा **21 [2016] 9** एस**.** सी**.** आर**. 469** पैरा **21 [1976] 2** एस**.** सी**.** आर**. 872** पैरा **26** पर निर्भर था

सी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2023 की सिविल अपील सं. 4492।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 31.10.2022 के निर्णय और आदेश से, 2003 के एम. ए. संख्या 2369 में जबलपुर में प्रधान पीठ।सिद्धार्थ सिन्हा, न्रिंग चामविबो जेलियांग, तथागट शर्मा, अविरल विनायक जारोलिया, सुश्री अनु प्रिया निशा मिंज, अभिषेक सिंह, सुश्री आकांक्षा, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ई.

मनोज मिश्रा, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश (संक्षेप में, "उच्च न्यायालय"), दिनांक 31.10.2022, पर आधारित है।2003 की अपील संख्या 2369, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। (आर-1 यहाँ) कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त/श्रम न्यायालय, जबलपुर के आदेश के विरुद्ध, दिनांक आई. डी. 1 के आदेश के विरुद्ध, मामला आई. डी. 3-घातक में पारित किया गया और इस प्रकार, अपीलार्थी की स्थायी अक्षमता को आई. डी. 4 के स्थान पर 40 प्रतिशत मानते हुए, अपीलार्थी को दिए गए मुआवजे को आई. डी. 5 से घटाकर आई. डी. 2,49, आई. डी. 2 कर दिया गया।

एफ.

जी.

तथ्यः-

3. अपीलार्थी ट्रक सं. के लिए मेसर्स सिम्प्लेक्स कंक्रीट कंपनी (आर-2) के साथ लोडिंग और अनलोडिंग मजदूर के रूप में कार्यरत था। एम. पी. एफ ए

एच.

851

इंद्र बाई बनाम मूल बीमा कंपनी लिमिटेड और एक और [मनोज मिश्रा, जे।] ए.

7567, जिसका आर-1 से बीमा किया गया था।03.10.2002 पर, जब अपीलार्थी उस ट्रक में खंभे/खंभे लोड कर रहा था, चेन पुली टूट गई और खंभे अपीलार्थी की बाईं भुजा पर गिर गए, जिसके परिणामस्वरूप उसकी बाईं भुजा का यौगिक फ्रैक्चर हो गया और साथ ही नसों को नुकसान पहुंचा। यह दावा करते हुए कि चोट के कारण, अपीलार्थी को स्थायी रूप से पूर्ण अक्षमता का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उसके बाएं हाथ में कोई पकड़ नहीं बची थी, आर-2 से मुआवजे की मांग की गई थी।आर-2 ने खुद को आर-1 से बीमित होने का दावा किया और अपीलार्थी से आर-1 से मुआवजे का दावा करने का अनुरोध किया।चूंकि कोई मुआवजा नहीं दिया गया था, इसलिए अपीलार्थी ने श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के तहत श्रमिक मुआवजा आयुक्त (संक्षेप में, "आयुक्त") के समक्ष याचिका दायर की, जिसे अब "कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923" (संक्षेप में, "अधिनियम") के रूप में जाना जाता है।

बी.

सी.

4. आयुक्त के समक्ष, आर-2 ने दावा याचिका में स्थापित तथ्यों पर विवाद नहीं किया, बल्कि उन्होंने आर-1 द्वारा जारी पॉलिसी के तहत बीमा कवर के लाभ का दावा किया।

5. आर-1 (बीमाकर्ता) ने हालांकि आर-2 के पक्ष में बीमा कवर के अस्तित्व से इनकार नहीं किया, लेकिन दावे को विफल करने के लिए सामान्य दलीलें दीं, जिन्हें यहां विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीमा पॉलिसी के तहत उस पर देयता तय करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आर-1 द्वारा कोई अपील नहीं है।6. आयुक्त के समक्ष कार्यवाही के दौरान, अपीलार्थी ने स्वयं की जाँच की।उन्होंने साबित किया कि-वह ट्रक नं. एम. पी. एफ. 7567, आर-2 के स्वामित्व में और आर-1 से बीमित; दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब वह अन्य मजदूरों के साथ उक्त ट्रक पर खंभे/खंभे लोड कर रही थी, तो चेन पुली टूट गई और खंभे उसके ऊपर गिर गए, जिसके परिणामस्वरूप उसके बाएं हाथ को गंभीर चोटें आईं; उसे 10 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उस दुर्घटना में लगी चोटों के कारण, उसका बायां हाथ तंत्रिका क्षति के कारण उसके बाएं हाथ की उंगलियों में कोई हलचल नहीं होने के कारण पूरी तरह से अप्रभावी हो गया है।वेतन प्रमाण पत्र सहित विभिन्न दस्तावेज (Exh. पी-5), डिस्चार्ज कार्ड (एक्सएच। पी-7) और मेडिकल बोर्ड (एक्सएच) द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र। पी-8) को उसके दावे का समर्थन करने के लिए पेश किया गया था।

डी.

ई.

एफ.

7. अपीलार्थी ने डॉ. रविशंकर चौधरी, एक हड्डी रोग विशेषज्ञ और जिला चिकित्सा बोर्ड के सदस्य (संक्षेप में, "बोर्ड") से भी पूछताछ की, जिन्होंने यह बयान दिया कि 22.10.2002 पर अपीलार्थी ने अपनी अक्षमता के प्रतिशत का पता लगाने के लिए बोर्ड को एक आवेदन दिया। जिसके बाद, उसकी जांच की गई और यह पाया गया कि उसके बाएं हाथ में एक यौगिक फ्रैक्चर था और उसके रेडियल में प्लेट और स्क्रू लगाए गए थे

जी.

एच.

और ऑपरेशन के बाद अल्ना हड्डी, परिणामस्वरूप, उसके बाएं हाथ की उंगलियों की गति कम हो गई थी और मांसपेशियां पतली हो गई थीं।डॉक्टर ने साबित किया कि बोर्ड द्वारा 50 प्रतिशत की सीमा तक स्थायी विकलांगता का संकेत देने वाला एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसमें यह घोषणा की गई है कि वह श्रम कार्य के लिए अयोग्य है।8. अपीलार्थी के नेतृत्व में साक्ष्य का खंडन करने के लिए न तो आर-1 और न ही आर-2 ने साक्ष्य प्रस्तुत किया।

बी.

आयोग की सफलताएँ

9. अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने पर आयुक्त ने पाया कि अपीलार्थी श्रम कार्य करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो गई है, जो वह दुर्घटना के समय कर रही थी।तदनुसार, अपीलार्थी की स्थायी अक्षमता का कुल मूल्यांकन किया गया था।

सी.

10. यह आकलन करने के बाद कि अपीलार्थी को स्थायी पूर्ण अक्षमता हुई थी, यह पता चलने पर कि दुर्घटना के समय उसकी आयु 30 वर्ष थी और मासिक मजदूरी 3,000/- रुपये थी, आयुक्त ने अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के संदर्भ में देय मुआवजे की गणना निम्नानुसार कीः- “17. दुर्घटना के समय आवेदक की आयु 30 वर्ष थी जिसका आयु कारक कर्मकार मुआवजा अधिनियम की धारा 4 की अनुसूची IV के अनुसार 207.98 है। इस आयु कारक को रुपये के मासिक वेतन के 60 प्रतिशत से गुणा करना। 3000/- रुपये द्वारा आवेदक को दिया जाता है। 1800/-, कुल मुआवजे की राशि रु। 3,74,364-।”11. मुआवजे की गणना करने के बाद, आयुक्त ने निम्नलिखित निर्देश दिएः-

डी.

ई.

“18. इसलिए, गैर-याचिकाकर्ताओं को इस आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर इस न्यायालय में संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से रुपये जमा करने का आदेश दिया जाता है। गैर-आवेदक निर्धारित समय के भीतर मुआवजे की राशि जमा नहीं करने के लिए इस आदेश की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।”12. आयुक्त के आदेश से व्यथित आर-1 ने अधिनियम की धारा 30 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी।

एफ.

उच्च न्यायालय के परिणाम

जी.

13. उच्च न्यायालय ने मुआवजे के लिए अपीलार्थी की पात्रता के साथ-साथ उसकी आयु और मासिक मजदूरी के संबंध में भी आयुक्त के निष्कर्ष को बाधित नहीं किया।हालांकि, उच्च न्यायालय ने उनकी स्थायी अक्षमता का आकलन 40 प्रतिशत किया और इस तरह दिए गए मुआवजे को कम कर दिया।

एच.

853

इंद्र बाई बनाम मूल बीमा कंपनी लिमिटेड और एक और [मनोज मिश्रा, जे।] ए.

ए.

14. स्थायी अक्षमता की सीमा पर, उच्च न्यायालय ने बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र पर ध्यान दिया और कहाः-

“अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि दावेदार ने जिला चिकित्सा बोर्ड, जबलपुर, पूर्व से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। पी-8 दिनांकित 25.02.2003, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दावेदार श्रीमती. इंद्र बाई पी. ओ. प्लेटिंग और पेंच के साथ बाएं रेडियल उल्ना के यौगिक फ्रैक्चर का एक पुराना मामला है, जिसमें उंगलियों के संकुचन के साथ कलाई ड्रॉप के साथ मोनोपेरेसिस ऊपरी अंग होता है।विकलांगता को 50 प्रतिशत पर प्रमाणित किया गया था जिसमें आगे की शर्त थी कि वह श्रम नौकरी के लिए अयोग्य है।”

बी.

15. उच्च न्यायालय ने चिकित्सा जांच करने वाले डॉक्टर के बयान पर भी ध्यान दिया और कहाः-

सी.

“दावेदार की ओर से डॉ. रविशंकर चौधरी की जांच की गई, जिन्होंने बयान दिया कि यह त्रिज्या और अल्ना हड्डी के पुराने यौगिक फ्रैक्चर का मामला था, जिसे प्लेट और स्क्रू को ठीक करके एक ऑपरेशन के माध्यम से ठीक किया गया था।जिरह में, इस गवाह ने स्वीकार किया कि उसके बाएं हाथ को छोड़कर, उसके शरीर में कोई विकलांगता नहीं है।वह उन सभी कार्यों को कर सकती है जिन्हें दाहिने हाथ से किया जा सकता है।”

डी.

16. उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णय पर विचार किया

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाममुबासिर अहमद और एक अन्य 1 से

यह ध्यान रखें कि यदि अनुसूची 1 में निर्दिष्ट नहीं की गई चोटों के कारण स्थायी आंशिक अक्षमता है तो कमाई क्षमता का नुकसान शारीरिक अक्षमता के प्रतिशत का विकल्प नहीं है, हालांकि यह ध्यान में रखे जाने वाले कारकों में से एक है।इसने इसका एक और निर्णय भी देखा

ई.

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड न्यायालयमोहम्मद.नासिर

और अन्य 2 यह अवलोकन करने के लिए कि अक्षमता की सीमा का निर्धारण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है, लेकिन मनमाने और अवैध तरीके से नहीं।

एफ.

17. ऊपर के रूप में अवलोकन करने और उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने पाया कि मुआवजे की गणना के लिए यदि 40 प्रतिशत स्थायी अक्षमता पर विचार किया जाता है तो न्याय के उद्देश्य पूरे होंगे।नतीजतन, उच्च न्यायालय ने दिए गए मुआवजे को ऊपर बताए गए हद तक कम कर दिया।

जी.

1 (2007) 2 एससीसी 349 2 (2007) 2 एससीसी 349

एच.

18. उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश से व्यथित, अपीलार्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी है।

19. इस याचिका पर, उत्तरदाता 1 और 2 को 13.01.2023 पर नोटिस जारी किए गए थे और यह निर्देश दिया गया था कि याची से किसी भी अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं की जाएगी। 05.04.2023 दिनांकित कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरदाताओं पर उचित सेवा के बावजूद, उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

बी.

20. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का अध्ययन किया है।

सी.

अपीलार्थी की प्रस्तुतियाँ

21. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि-सबसे पहले, अधिनियम की धारा 30 के तहत अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न न हो।अक्षमता की सीमा के कारण तर्क में किसी भी विकृति के अभाव में, यह तथ्य का सवाल होने के कारण, उच्च न्यायालय ने उस मुद्दे पर गौर करके गलती की।दूसरा, उच्च न्यायालय ने स्थायी विकलांगता का आकलन 100% के बजाय 40 प्रतिशत करके गलती की।यह आग्रह किया गया था कि एक कर्मचारी की पूर्ण अक्षमता, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, को उस काम को करने में उसकी अक्षमता के आधार पर आंका जाना चाहिए जो वह दुर्घटना के समय करने में सक्षम था जिसके परिणामस्वरूप ऐसी अक्षमता हुई थी।दुर्घटना के समय अपीलार्थी एक लोडिंग और अनलोडिंग मजदूर था।लोडिंग/अनलोडिंग के उद्देश्यों के लिए, दोनों बाहों/हाथों का उपयोग आवश्यक है।अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि अपीलार्थी का बायां हाथ बेकार हो गया था इसलिए उसे श्रम नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।ऐसी परिस्थितियों में, आयुक्त को स्थायी अक्षमता का आकलन 100% (यानी, कुल अक्षमता) के रूप में करने में उचित ठहराया गया था, जबकि उच्च न्यायालय ने इसका आकलन 40 प्रतिशत करके गलती की थी।उसकी दलीलों के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने चनप्पा में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा

डी.

ई.

एफ.

नागप्पा मुचलगोडा बनाम डिवीजनल मैनेजर, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **3** और गोल्ला राजन्ना और अन्य बनाम डिवीजनल मैनेजर और एक अन्य।**4**

जी.

चर्चा और विश्लेषण

22. हमने प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

3 (2020) 1 एससीसी 796 4 (2017) 1 एससीसी 45 ए

एच.

855

इंद्र बाई बनाम मूल बीमा कंपनी लिमिटेड और एक और [मनोज मिश्रा, जे।] ए.

23. निम्नलिखित के संबंध में पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं हैः-

(क) कि अपीलार्थी आर-2 के तहत ट्रक संख्या के लिए एक लोडिंग और अनलोडिंग मजदूर के रूप में कार्यरत था। एम. पी. एफ. 7567, जिसका दुर्घटना के समय आर-1 से बीमा किया गया था;

बी.

(ख) कि दुर्घटना रोजगार के दौरान हुई; (ग) दुर्घटना के समय, अपीलार्थी की आयु 30 वर्ष थी और मासिक मजदूरी Rs.3000 थी; और

(घ) यद्यपि बोर्ड ने उन्हें 50 प्रतिशत तक स्थायी रूप से अक्षम घोषित कर दिया, लेकिन प्रमाणित किया कि वह श्रम के लिए 'अयोग्य' हैं।24. अधिनियम की धारा 4 (1) (बी), प्रासंगिक समय पर, निम्नानुसार पढ़ी जाती हैः- "4. मुआवजे की राशि।- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, मुआवजे की राशि निम्नानुसार होगी, अर्थात्ः-

सी.

डी.

ई.

बशर्ते कि केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित मुआवजे की राशि बढ़ा सकती है।

एफ.

स्पष्टीकरण I.— खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, किसी कर्मचारी के संबंध में "सुसंगत कारक" का अर्थ है उस अनुसूची के पहले कॉलम में प्रविष्टि के विरुद्ध अनुसूची IV के दूसरे कॉलम में निर्दिष्ट कारक जो उन वर्षों की संख्या निर्दिष्ट करता है जो उस तारीख से ठीक पहले उसके अंतिम जन्मदिन पर श्रमिक की आयु के पूर्ण वर्षों के बराबर हैं, जिस दिन मुआवजा देय था।"25. "कुल अक्षमता को धारा 2 (1) (एल) द्वारा निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः- " "पूर्ण अक्षमता का अर्थ है ऐसी अक्षमता, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी प्रकृति की, जो किसी श्रमिक को उन सभी कार्यों के लिए अक्षम करती है जो वह दुर्घटना के समय करने में सक्षम था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी अक्षमता होती हैः

जी.

एच.

बशर्ते कि स्थायी पूर्ण अक्षमता को अनुसूची I के भाग I में निर्दिष्ट प्रत्येक चोट या उसके भाग II में निर्दिष्ट चोटों के किसी भी संयोजन का परिणाम माना जाएगा, जहां उन चोटों के खिलाफ उक्त भाग II में निर्दिष्ट कमाई क्षमता की हानि का कुल प्रतिशत सौ प्रतिशत या उससे अधिक है।

बी.

26. प्रताप नारायण सिंह देव बनाम श्रीनिवास सबाटा और

अन्य 5, इस न्यायालय की चार-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय किया गया कि घायल कर्मचारी पेशे से एक बढ़ई था और कोहनी के ऊपर बायां हाथ खो जाने के कारण, वह स्पष्ट रूप से बढ़ईगीरी के काम के लिए अयोग्य घोषित किया गया था और इसलिए, आयुक्त ने स्थायी विकलांगता को कुल यानी 100% मानते हुए मुआवजा प्रदान किया।नियोक्ता ने तर्क दिया कि चोट के परिणामस्वरूप कर्मचारी को स्थायी रूप से पूरी तरह से अक्षम नहीं किया गया था और इसलिए, आयुक्त ने यह विचार रखने में कानून की घोर त्रुटि की कि पूरी तरह से विकलांग था। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः- "5. अधिनियम की धारा 2 (1) (1) में "पूर्ण अक्षमता" अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

सी.

डी.

" "पूर्ण अक्षमता का अर्थ है ऐसी अक्षमता, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी प्रकृति की, जो एक कर्मचारी को उन सभी कार्यों के लिए अक्षम करती है जो वह दुर्घटना के समय करने में सक्षम था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी अक्षमता होती है।"

हमारे समक्ष यह विवादित नहीं किया गया है कि चोट ऐसी प्रकृति की थी जिससे प्रत्यर्थी को स्थायी रूप से अक्षमता हो सकती थी, और विचार के लिए सवाल यह है कि क्या अक्षमता ने प्रत्यर्थी को उन सभी कार्यों के लिए अक्षम कर दिया जो वह दुर्घटना के समय करने में सक्षम था।आयुक्त ने प्रश्न की जांच की है और अपने निष्कर्ष को निम्नानुसार दर्ज किया हैः

ई.

एफ.

"इस मामले में घायल कर्मचारी कुल्हाड़ी के ऊपर बाएं हाथ के नुकसान से बढ़ई है, वह स्पष्ट रूप से बढ़ई के काम के लिए अयोग्य हो गया है क्योंकि बढ़ई का काम केवल एक हाथ से नहीं किया जा सकता है।"

यह स्पष्ट रूप से एक उचित और सही निष्कर्ष है।अपीलार्थी के वकील किसी भी आधार पर उस पर हमला नहीं कर पाए हैं और इस अपील में इसे ठीक करने की आवश्यकता नहीं है।"

जी.

27. चनप्पा नागप्पा मुचलगोडा (ऊपर) में, मुद्दा

जो इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था, क्या कोई कर्मचारी है

5 (1976) 1 एससीसी 289 ए

एच.

857

इंद्र बाई बनाम मूल बीमा कंपनी लिमिटेड और एक और [मनोज मिश्रा, जे।] ए.

चालक, जो अपने पैर में चोट के कारण, न तो लंबे समय तक खड़ा रह सकता था और न ही अपने पैरों को मोड़ सकता था और उसे चलने के लिए छड़ी का उपयोग करने की आवश्यकता थी, और भारी वस्तुओं को नहीं उठा सकता था, वह चिकित्सा राय के अनुसार अक्षमता को 100% या उससे कम के रूप में लेते हुए मुआवजे का हकदार होगा।विशेष रूप से, उस मामले में, डॉक्टर ने प्रमाणित किया था कि कर्मचारी को अपने पूरे शरीर में 37 प्रतिशत अक्षमता का सामना करना पड़ा था, और वह अब ट्रक चालक का काम नहीं कर सकता था।उस संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

बी.

"10. यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलार्थी अब भारी वाहनों के चालक के रूप में अपने व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा सकता है।अभिलेख पर चिकित्सीय साक्ष्य ने लंबे समय तक खड़े रहने या यहाँ तक कि अपने पैरों को मोड़ने में उनकी असमर्थता की पुष्टि की है।परिणामस्वरूप, अपीलार्थी एक चालक के रूप में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में स्थायी रूप से अक्षम हो गया है।

सी.

14. .....दुर्घटना के परिणामस्वरूप, अपीलार्थी जीवन भर के लिए अक्षम हो गया है, क्योंकि वह केवल छड़ी की मदद से चल सकता है।उन्होंने एक चालक के रूप में काम करने की क्षमता खो दी है, क्योंकि उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।किसी अन्य शारीरिक श्रम नौकरी को प्राप्त करने की संभावना संभव नहीं है, क्योंकि उसे अपनी गतिशीलता सुनिश्चित करने और अपनी असुविधा का प्रबंधन करने के लिए एक व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होगी।परिणामस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा पीड़ित कार्यात्मक अक्षमता का आकलन 100% के रूप में किया जाना चाहिए।"

डी.

ई.

28. उपरोक्त निर्णयों और अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (1) द्वारा प्रदान की गई "कुल अक्षमता" शब्द की परिभाषा के आलोक में, यह कार्यात्मक अक्षमता है न कि केवल शारीरिक अक्षमता जो यह आकलन करने में निर्धारक कारक है कि क्या दावेदार (यानी, कर्मचारी) ने पूर्ण अक्षमता प्राप्त की है।इस प्रकार, यदि किसी दुर्घटना में हुई अक्षमता किसी कर्मचारी को उन सभी कार्यों के लिए अक्षम करती है जो वह दुर्घटना के समय करने में सक्षम था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी अक्षमता होती है, तो अक्षमता को अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के तहत मुआवजे के पुरस्कार के उद्देश्यों के लिए कुल के रूप में लिया जाएगा, भले ही चोट लगी हो जो अधिनियम की अनुसूची I के भाग I में निर्दिष्ट नहीं है। अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (1) का परंतुक मूल खंड के महत्व को कम नहीं करता है।बल्कि, यह श्रेणियों को निर्दिष्ट करके इसमें जोड़ता है जिसमें यह माना जाएगा कि स्थायी पूर्ण अक्षमता है।

एफ.

जी.

29. मोहम्मद में।नासिर (ऊपर), जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया है, एक सफाई कर्मचारी था।उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था।

एच.

यह माना गया था कि इस तरह की चोट पूरे पैर के उपयोग के स्थायी नुकसान के बराबर नहीं होगी।इसलिए, अक्षमता आंशिक पाई गई और पूर्ण नहीं।

30. उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए एक अन्य निर्णय मुबासिर अहमद (उपरोक्त) में, मामला अनुसूची I में निर्दिष्ट चोटों से संबंधित नहीं था और इस प्रकार, यह देखा गया कि मामला अधिनियम की धारा 4 (1) (सी) (ii) के अंतर्गत आता है। हालाँकि, उस मामले में, न्यायालय ने किसी भी स्तर पर इस बात की जांच नहीं की कि क्या विचाराधीन अक्षमता ने श्रमिक को उन सभी कार्यों को करने में असमर्थ बना दिया था जो वह दुर्घटना के समय करने में सक्षम था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी अक्षमता हुई थी।दूसरे शब्दों में, न्यायालय के पास

अधिनियम की धारा 2 (1) (1) द्वारा परिभाषित "पूर्ण अक्षमता" शब्द के वास्तविक महत्व की जांच करने का कोई अवसर नहीं था। इसलिए, हमारे

बी.

सी.

देखें, मुबासिर अहमद (ऊपर) में निर्णय गलत तरीके से लागू किया गया था

उच्च न्यायालय।31. तत्काल मामले में, बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, आयुक्त ने अपीलार्थी को श्रम के लिए अयोग्य पाया क्योंकि अपीलार्थी के बाएं हाथ में पकड़ पूरी तरह से खो गई थी।दुर्घटना से पहले, अपीलार्थी लोडिंग/अनलोडिंग मजदूर के रूप में काम करता था।भले ही वह अपने दाहिने हाथ का उपयोग कर सकती हो, लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या उसे माल ढोने/उतारने वाले मजदूर के रूप में अपना काम करने के लिए उपयुक्त माना जा सकता है।इस तरह का कार्य आमतौर पर दोनों हाथों का उपयोग करके किया जाता है। अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि अपीलार्थी एक हाथ के उपयोग से किसी भी प्रकार का कार्य करने में कुशल था।यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां अपीलार्थी के पास मशीनों का उपयोग करके अपना काम करने का कौशल था जिसे अपीलार्थी एक हाथ का उपयोग करके संचालित कर सकता था।ऐसी परिस्थितियों में, जब बोर्ड ने प्रमाणित किया था कि अपीलार्थी को श्रम के लिए अयोग्य घोषित किया गया था, तो अक्षमता को उसकी कार्यात्मक अक्षमता के कारण कुल के रूप में मानते हुए मुआवजा देने में आयुक्त के निर्णय में कोई विकृति नहीं थी।नतीजतन, उच्च न्यायालय द्वारा विचार के लिए कानून का कोई सवाल नहीं उठा, कम से कम एक महत्वपूर्ण, ताकि अधिनियम की धारा 30 के तहत शक्ति के प्रयोग में अपील की अनुमति दी जा सके। हमारे सुविचारित विचार में, उच्च न्यायालय ने आयुक्त के आदेश को आंशिक रूप से दरकिनार करने और अक्षमता का आकलन 100% के बजाय 40 प्रतिशत करने में गलती की, जैसा कि आयुक्त द्वारा मूल्यांकन किया गया था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

32. उपरोक्त कारणों से, अपील की अनुमति है।उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को अपास्त करना दिया जाता है।आयुक्त के आदेश को बहाल किया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

एच.

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)